

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प० 12(3) राज/वाद/99 पार्ट/जूनियर

जयपुर दिनांक 06/10/23

:: आदेश ::

श्री राजेन्द्र सोनी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक एजी/एजीओ/2023/5581 दिनांक 05.09.2023 के क्रम में श्रीमती नयन तारा सोनी, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/104/2008) एवं श्री सांवर मल शर्मा, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/556/2019) को उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-

1. जूनियर अधिवक्ता को श्री राजेन्द्र सोनी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 20 प्रतिशत राशि अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर की अनुशंसा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंसानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अंथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हों।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जासि सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

ठूँ  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. श्री राजेन्द्र सोनी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर।
4. संबंधित अधिवक्तागण।
5. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, वादकरण।
6. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
7.  प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

3  
06/10/23  
शासन सचिव, विधि